शंकर राघो भागने

बनाम

स्टेट ऑफ महाराष्ट्र

(आपराधिक अपील नम्बर-439/2008)

मार्च 04, 2008

डा० अरिजीत पसायत और पी.सदाशिवम, जे.जे.

भारतीय दंड संहिता - धारा 302 - हत्या - अभियुक्त के द्वारा उसकी माता को झगड़ा होने पर मारने के फलस्वरूप उनकी मृत्यु हुई - धारा 302 के अन्तर्गत दोषसिद्ध- सत्यता - अभिनिर्धारित - अभियोजन मामला सिद्ध करने में सफल रहा- अभियोजन साक्ष्य की गवाही विश्वसनीय - अतः अधीनस्थ न्यायालय की दोषसिद्धि न्यायसंगत।

अभियोजन मामले के अनुसार अभियुक्त उसके बुजुर्ग एवं अंधे माता पिता के साथ रहता था। अभियुक्त के उसके माता पिता से अच्छे संबंध नहीं थे तथा वह उनकी अच्छे से देखभाल नहीं करता था। अभियुक्त की विवाहित बहन उसके माता पिता की देखभाल करती थी तथा अभियुक्त को यह बात पसंद नहीं थी। अभियुक्त इस बात को लेकर झगड़ा, गाली गालौंच व मारपीट करता रहता था। घटना की दिनांक को अभियुक्त झगड़े पर गुस्सा हो गया तथा उसने उसकी माता के साथ लकड़ी से मारपीट की जिसके पश्चात उसकी माता की चोटो से मृत्यु हो गई। गवाह पी. डब्ल्यू.3 अभियुक्त की बहू ने पूरी घटना को होते हुए देखा। प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज हुई। अपीलार्थी को उसकी माता की मृत्यु कारित करने के अपराध अन्तर्गत धारा 302 भारतीय दंड संहिता में दोषसिद्ध घोषित किया गया तथा उसे आजीवन कारावास की सज़ा से दंडित किया गया। उच्च न्यायालय के द्वारा अभियुक्त की दोषसिद्धि को पुष्ट किया गया, जिसके फलस्वरूप हस्तगत अपील दायर की गई।

अपील को ख़ारिज करते हुए न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया:

1.1 पी.डब्ल्यू.3 अभियुक्त की बहू है। वो मृतक के घर के पड़ौस वाले घर में रहती थी। उसकी साक्ष्य के अनुसार उसने घटना देखी थी। उसने सजीव चित्रण के साथ पूरी घटना का वर्णन किया। सुबह के समय उसने पूरी घटना के बारे में अपनी ननद को बताया था। उसकी साक्ष्य में ऐसी कोई भी अदृढ़ता नहीं थी जिससे वो माने जाने योग्य न हो। अधीनस्थ न्यायालय एवं उच्च न्यायालय ने न्यायानुसार उसके बयानों पर विश्वास किया। (मद संख्या 6 व 7) (816 सी.एफ.)

1.2 पी. डब्ल्यू.2 अभियुक्त की बहन है। उसने भी सजीव चित्रण के साथ अभियुक्त के घटना के पहले के आचरण का वर्णन किया। अभियुक्त ने गवाह को उसके घर में आग लगाने व उसके पैर काटने की धमकी दी थी। उसके अनुसार, अभियुक्त उससे परेशान था क्योंकि वो अभियुक्त के माता पिता की देखभाल करती थी। उसके बयानों में कोई भी विरोधाभास विद्यमान नहीं है जिससे की उसके बयानों पर संदेह उत्पन्न हो।

1.3 अभियोजन मामला स्थापित करने में सफल रहा है। विस्तृत जिरह के पश्चात भी गवाह पी.डब्ल्यू.3 द्वारा अदृढ़ तथ्य सामने नहीं आये है। विचारण न्यायालय तथा उच्च न्यायालय द्वारा अभियुक्त को धारा 302 भारतीय दंड संहिता के अपराध में अपराधी मानने व उसे दोषसिद्ध करना न्यायसंगत है।

आपराधिक अपीलीय क्षेत्राधिकार, आपराधिक अपील संख्या 439/2008

(बॉम्बे उच्च न्यायालय के आपराधिक अपील संख्या 210/2000 में अंतिम निर्णय व आदेश दिनांकित 22.09.2004 से उत्पन्न)

अपीलार्थी की ओर से- डी एम नरगोलकर

प्रत्यर्थी की ओर से- सुशील करंचकर व रवींद्र केशवराव अश्योर

हस्तगत न्यायालय का निर्णय डॉ अरिजीत पसायत द्वारा पारित किया गया।

1. अनुमति प्रदान की गई।

2. हस्तगत अपील के माध्यम से बॉम्बे उच्च न्यायालय की खंड पीठ के अपीलार्थी की अपील को ख़ारिज करने तथा उसके विरुद्ध धारा 302 भारतीय दंड संहिता की दोषसिद्धि व आजीवन कारावास की सज़ा को पुष्ट करने के निर्णय को चुनौती दी गई.

3. संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि -

गिरजा राघो भांगने (जिसे मृतक के नाम से उल्लेखित किया जाएगा) वाच्यार्थ गाँव की निवासी थी, जो अभियुक्त की माता थी। पार्वती सखाराम कनिम पी. डब्ल्यू.2 मृतक की विवाहित पुत्री थी, उसका विवाह भी इसी गाँव में किया गया था। मृतक काफ़ी बुजुर्ग और अंधी थी तथा उसके पति भी अंधे व बहरे थे। अभियुक्त व उसके माता पिता साथ में निवास करते थे। अभियुक्त अपनी पत्नी के साथ लड़ाई झगड़ा व मारपीट करता रहता था, जिस कारण उसकी पत्नी पड़ौस के घर में निवास करती थी। अभियुक्त अपने माता पिता की देखभाल नहीं करता था। अतः मृतक व उसके पति की देखभाल करने वाला कोई नहीं था। पार्वती पी.डब्ल्यू.2 अपने अंधे माता पिता की देखभाल करती थी व उनके खाने व अन्य सामग्री की व्यवस्था उसके घर से करती थी। अभियुक्त को यह कदापि पसंद नहीं था जिस कारण वह अपनी बहन से आक्रोशित था। इससे यह प्रकट होता है कि अभियुक्त की शादी भी विफल हो गई थी तथा वह अपनी माता से भी आक्रोशित रहता था। इसी कारण वह अपनी माता के साथ भी लड़ाई झगड़ा, गाली ग़लोच व मारपीट करता था। घटना की दिनांक से एक दिन पहले पार्वती पी. डब्ल्यू.2 अपनी माता के नहाने के लिए पानी लेकर अपने माता पिता के पास आयी थी परंतु

मृतक ने अपनी पुत्री से कहा था कि अभियुक्त द्वारा रात में उसके साथ मारपीट की गई थी जिस कारण उसके शरीर में बहुत दर्द हो रहा है। उसने यह भी कहा था कि वह बाद में नहा लेगी। पार्वती पी.डब्ल्यू.2 पानी वहीं रखकर अपने घर वापिस चली गई थी। उसी दिन रात में अभियुक्त पार्वती के घर गया तथा उसके घर को जलाने व उसके पैर तोड़ने की धमकी दी थी। उसने अगले दिन सुबह घर आकर वो जो करेगा वो देखने को कहा था।

घटना दिनांक 20 व 21 जनवरी 1999 के मध्य रात्रि में घटित हुई थी। उस् रात अभियुक्त उसके घर गया था। उसके अंधे माता पिता घर पर थे। उसकी बीवी उसके साथ निवासरत नहीं थी। घर जाने के पश्चात अभियुक्त ने अपनी अंधी माँ से खाना माँगा था। चूँकि उसकी माँ स्वयं उसकी बेटी पर आश्रित थी, वो अभियुक्त को खाना नहीं दे पायी थी। जिसके बाद अभियुक्त क्रोधित हो गया और अपनी माता को लाठी से मारने लगा। उक्त घटना दर्शना दौलत भागने जो अभियुक्त की बहू है तथा अभियुक्त के पड़ोस के मकान में रहती है, के द्वारा देखी गई थी। उसके बाद अभियुक्त घटना स्थल से चला गया था। दर्शना का पति (पी.डब्ल्यू.3) भजन के लिए बाहर गया हुआ था जो क़रीब रात को 1.30 बजे घर वापस आया। दर्शना ने पूरी घटना उसके पति को बताई, पर उसके पति ने रोज़ की बात समझ कर उसे अनदेखा कर दिया।

पार्वती (पी.डब्ल्यू.2) दिनांक 21.01.1999 को सुबह क़रीब 8:00-8:30 ए.एम. पर नाश्ता लेकर अपने माता पिता के घर आयी। उसने अपनी माँ को आवाज़ लगायी पर कुछ उत्तर नहीं आया। उसने बहुत ध्यान से अपनी माँ का चेहरा भी देखा। उसके हाथ खून से लथपथ हो रहे थे। उसको समझ में आया कि उसकी माता की मृत्यु हो गई है। उसने रोना शुरू कर दिया। उसने पड़ोसियों को घटना के बारे में बताया जिस पर पड़ोसियों ने आकर मृतक को देखा। पी.डब्ल्यू.1 को सूचना मिलते ही वो डपोली पुलिस स्टेशन गई और

उसने प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करायी, जिसके बाद अपराध दर्ज हुआ। पुलिस उप निरीक्षक संजय शम्सुंदर कुरुंदकर पी.डब्ल्यू.6 द्वारा अनुसंधान किया गया। मृतक का पंचनामा बनाया गया। मृतक के शरीर को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र फांसू भेजा गया। मृतक का पोस्टमोर्टम डॉ. डी.एल.खबादे पी.डब्ल्यू.5 द्वारा किया गया। मृतक के शरीर पर कुल 5 चोटें पायी गई थी। दिमाग़ में भी चोट ज़ाहिर हुई थी। डॉ. डी.एल. खबादे की राय में दिमाग़ में चोट के कारण कार्डियक रेस्पिरेटरी फेलियर ही मृतक की मौत का कारण था। सिर पर चोट भी साधारणतः मृत्यु क़ारित करने हेतु काफ़ी थी। पुलिस उप निरीक्षक संजय शम्सुंदर कुरुंदकर ने घटना का पंचनामा तैयार किया। एक लकड़ी खून से लथपथ जिस पर बाल भी लगा हुआ था घटना के स्थान से बरामद की गई थी। अभियुक्त को गिरफ़्तार किया गया था। फ़र्द गिरफ़्तारी तैयार की गई। उसके कपड़े बरामद किए गये। बाद में अभियुक्त के कपड़े, लकड़ी, मृतक के कपड़े तथा खून का सैंपल रासायनिक विश्लेषक पुणे परीक्षण के लिए भेजा गया जिसके बाद रासायनिक विशेषज्ञ द्वारा रिपोर्ट्स तैयार की गई। अनुसंधान पूर्ण होने पर अभियुक्त को अपनी माता की हत्या के लिए आरोपित किया गया। प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रकरण सेशन न्यायालय में अन्वीक्षा के लिये कमिट किया गया।

अधिनस्थ न्यायालय ने चक्षुदर्शी गवाहों पी.डब्ल्यू.3 व पी.डब्ल्यू.2 को विश्वसनीय माना।

यह अभिनिर्धारित किया गया था कि अभियोजन पक्ष ने अपना मामला संदेह से परे साबित किया है, जिसके आधार पर अभियुक्त को दोषसिद्ध कर सजा सुनायी गई थी। उच्च न्यायालय ने अपील सारहीन होने से अपील ख़ारिज कर दी थी।

4. अपीलांट के विद्वान अधिवक्ता ने यह तर्क रखा कि पी.डब्ल्यू.2 व पी.डब्ल्यू.3 विश्वसनीय साक्षी नहीं है।

5. सरकार की ओर से विद्वान अधिवक्ता ने निर्णय का समर्थन किया।

6. पी.डब्ल्यू.3 अभियुक्त की बहू है। यह स्वीकृत है कि वो मृतक के पड़ोस में निवास करती थी। उसके बयानों के अनुसार उसने घटना देखी थी। उसने सजीव चित्रण के साथ पूरी घटना का वर्णन किया।

7. उसने यह कथन किया कि घटना की रात को वो घर पर थी तथा उसका पति धार्मिक कार्यक्रम से बाहर गया हुआ था। उसकी सास सो रही थी। उसने कथन किया कि उसने अभियुक्त को उसकी माता से खाना माँगते हुए सुना था. क्योंकि उसकी माता ने उसे खाना देने से मना कर दिया था, अभियुक्त मृतक के साथ मारपीट करने लगा था जो गवाह ने देखा था। उसने यह भी कथन किया कि जब उसका पति वापस आया तो उसने पूरी घटना उसके पति को भी बतायी परंतु उसके पति ने उक्त बात को अनसुना कर दिया। अगले दिन सुबह उसने अपनी ननद को पूरी घटना बतायी। उसकी साक्ष्य किसी दुर्बलता से प्रभावित नहीं होती है जिसके आधार पर उसके बयानों को नकारा जा सके। विचारण न्यायालय व उच्च न्यायालय ने न्यायानुसार उसके बयानों पर विश्वास किया।

8. जहां तक पी.डब्ल्यू.2 का प्रश्न है तो वो अभियुक्त की बहन है। उसने भी सजीव चित्रण के साथ अभियुक्त के घटना के पहले का आचरण का वर्णन किया। अभियुक्त ने गवाह को उसके घर में आग लगाने व उसके पैर काटने की धमकी दी थी। उसके अनुसार, अभियुक्त उससे परेशान था क्योंकि वो अभियुक्त के माता पिता की देखभाल करती थी। उसके बयानों में कोई भी विरोधाभास विद्‌यमान नहीं है जिससे की उसके बयानों पर संदेह उत्पन्न हो।

9. अभियोजन मामला स्थापित करने में सफल रहा है। विस्तृत जिरह के पश्चात भी गवाह पी.डब्ल्यू.3 द्‌वारा अदृढ़ तथ्य सामने नहीं आये है।

10. उपरोक्त विवेचनानुसार, विचारण न्यायालय तथा उच्च न्यायालय द्वारा अभियुक्त को धारा 302 भारतीय दंड संहिता के अपराध में अपराधी मानने व उसे दोषसिद्ध करना न्यायसंगत है।

11. अतः अपील सारहीन होने से ख़ारिज होने योग्य है।

अपील ख़ारिज की जाती है।

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल '**सुवास**' की सहायता से अनुवादक न्यायिक अधिकारी मिति श्रीवास्तव, आर.जे.एस. द्वारा किया गया है।

अस्वीकरण: यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।